अपर निदे (शष्य)/ DBT / बजट/ DDO

सचिव, कृषि कोषांग
E-Mail
10 JUL 2019
2130
बिहार, पटना

पत्रांक- ई-ग्रा/DBT-01/2019 - 5379

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

डॉ० कामेश्वर ओझा,
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

कृषि निदेशक कोषांग
पत्र बजी
11 JUL 2019
संख्या 2619
बिहार, पटना

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपविकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 27/06/19

विषय :- इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक लि० में सरकारी राशि प्राप्त करने वाले लाभूकों/प्राप्तकर्ताओं द्वारा संधारित खातों में भुगतान की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक लि०, भारत सरकार का एक बैंक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त बैक है तथा इसे RBI के NEFT Member Bank सूची में भी शामिल किया गया है। इस बैंक की विभिन्न शाखाओं में आम आदमी द्वारा खाता खोला जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से सरकारी राशि प्राप्तकर्ताओं/लाभूकों को सुविधापूर्वक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जा सकता है। IPPB के माध्यम से अन्य बैंकों की तरह NEFT के माध्यम तथा Aadhar based payment system से भुगतान करने की व्यवस्था है।

बिहार राज्य में करीब 8442 ग्राम पंचायत तथा 45103 गाँव है। प्रत्येक जिला में इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक (IPPB) का एक कार्यालय है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 9000 इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का Banking Outlet खोला जाना है। जिसमें से करीब 7000 Outlet खोले जा चुके है। करीब 11000 ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण खाताधारकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहे है। राज्य में 3558 सरकारी क्षेत्र के बैंक है, जबकि 7000 IPPB के आउटलेट भी कार्य कर रहे है। बैंकिंग पहुँच के इस वृहद ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग सुदुर क्षेत्रों में स्थित आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा सुविधाजनक तरीके से दिया जा सकता है क्योंकि इस बैंक का अपना एक ही

IFSC कोड है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 8.50 लाख खाते खोले गये है एवं इनमें करीब 95-96 प्रतिशत आधार से जुड़े है। इस बैंक में 10 वर्ष की आयु के बच्चे का भी खाता खोला जा सकता है।

DBT योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लाभूकों का बैंकों में खाता होना आवश्यक है ताकि प्रत्येक योजनाओं के लाभूकों का ई-लाभार्थी पोर्टल पर बैंक खाता IFSC Code के साथ डाटा बेस बनाया जा सकें। IPPB बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, इससे सही लाभार्थी को ही लोकधन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता हैं। PFMS के द्वारा लाभार्थियों को भुगतान हेतु IPPB को चयनित करने की सुविधा भी दी गयी है। IPP Bank में भी खाता खोलने तथा उसमें सरकारी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने से आम लाभूकों को गाँव में ही NEFT/RTGS से सज्जित भारत सरकार, पोस्ट विभाग का बैंक भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। IPPB के माध्यम से सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों के लाभूकों को सरकारी राशि DBT से बैंकों में भेजना अब संभव होगा।

अतः अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने हेतु आम आदमी का ख़ाता अन्य बैंकों के साथ-साथ IPPB में भी खोला जा सकता है। सरकारी राशि भुगतान हेतु IPPB में खोलें गये ख़ातों को मान्यता दी जाय। IPPB बैंक की सूची संलग्न है।

विश्वासभाजन,

26.6.2019

(कामेश्वर ओझा)
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

ज्ञापांक ......5379...................................... पटना, दिनांक 27/06/19.

प्रतिलिपि- श्री विजयंत माधव, परिमंडल प्रमुख, इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक लि०, बिहार परिमंडल, पटना जी०पी०ओ० कैम्पस, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.6.2019.

(कामेश्वर ओझा)
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

कृषि निदेशालय,
कार्यालय अपर निदेशक (शष्य)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ई॰प्र॰ 09/2019 169 ~~दिनांक :–~~ कृ/पटना दिनांक 18/7/19.

प्रतिलिपि :– निदेशक (उद्यान)/निदेशक, बसोका/निदेशक, बामेती/निदेशक, भूमि संरक्षण/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय के सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) जुट, पूर्णिया/उप निदेशक (शष्य) सभी/सहायक निदेशक (उद्यान)/सहायक निदेशक(भूमि संरक्षण)/प्रभारी पदाधिकारी, डी0बी0टी0 कोषांग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय/सचिवालय संभाग/कृषि निदेशक के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(धनन्जयपति त्रिपाठी) 18/7/19
अपर निदेशक (शष्य)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 169 दिनांक :– 18/07/19.

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0, प्रबंधक अनुलग्नक सहित सभी संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(धनन्जयपति त्रिपाठी) 18/7/19
अपर निदेशक (शष्य)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।